समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 918 2022

नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य

श्रीमानजी,

निवेदन है कि उपरोक्त ओ.ए. में पारित आदेश दिनांक 02–01–2023 के अनुपालन में दिनांक 03–03–2023 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई संयुक्त समिति की तथ्यात्मक आख्या दिनांकित 02–03–2023 पर निम्नलिखित आपत्ति प्रेषित की जा रही हैः–

1. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति ने तथ्यात्मक आख्या देने के बजाये, झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत आराजी नम्बरों की भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर अवैध कॉलोनियां विकसित करने और अवैध निर्माण करने वालों को और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से मनगढ़ंत, अधुरी, भ्रामक, झूठी तथ्यात्मक आख्या तैयार कराकर माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित की गई है।

2. यह कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित उपरोक्त मनगढ़ंत, अधुरी, भ्रामक, झूठी तथ्यात्मक आख्या दिनांकित 02–03–2023 के संबंध में दिनांक 12.03. 2023 को याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पुनः स्पष्ट आख्या मंगवाकर माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष आख्या प्रेषित करने हेतु ई–मेल द्वारा पत्र प्रेषित किया था, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उक्त पत्र के क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, **उक्त पत्र संलग्न है।**

3. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक आख्या के विपरीत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी झांसी, झांसी विकास प्राधिकरण व नगर निगम झांसी व उपजिलाधिकारी सदर, झांसी और दक्षिणांचल विद्दुत वितरण निगम, झांसी के द्वारा प्रश्नगत भूमियों पर **अनधिकृत निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित कराने वाले अब्दुल करीम व जफर राईन व अकरम व मुहम्मद यासीन व के.आर. टोकसे श्रीमती गीता देवी व हरीदास व अर्जुन आदि से सांठगाठ कर एवं उनको बचाने के उद्देश्य से मनगढ़ंत, अधुरी, भ्रामक, झूठी उक्त तथ्यात्मक आख्या तैयार कराकर प्रेषित की गई है।**

4. यह कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट बेचने एवं अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

5. यह कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों में सांठगांठ कर अवैध निर्माण कराने वाले झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों–कर्मचारियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. यह कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों एवं अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से विद्युतीकरण के कार्य कराने और बिजली कनेक्शन देने वाले दक्षिणांचल विद्दुत वितरण निगम, झांसी के अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. यह कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों एवं अवैध कॉलोनियों में गैर

कानूनी रूप से जलापूर्ति के कार्य कराने और पानी कनेक्शन देने वाले जल संस्थान, झांसी के अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. यह कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों एवं अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से सड़क, नाली आदि के विकास कार्य कराने वाले झांसी नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

9. यह कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों को छोड़कर मात्र नगर पार्क के 2390 अवैध निर्माणों का उल्लेख किया गया है, जो झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों–कर्मचारियों की मिलीभगत से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ को लगातार नुकसान पहुंचाते हुए किये जा रहे है। जिन्हें झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से न तो रोका जा रहा है और न ही हटाया जा रहा है, जिनमें नगर निगम झांसी व दक्षिणांचल विद्दुत वितरण निगम, झांसी और जल संस्थान, झांसी के द्वारा गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क, नाली आदि के विकास कार्य करायें जा रहे, पक्के आवास बनवाऐं जा रहे तथा बिजली, पानी के कनेक्शन दिए जा रहे है।

जबकि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार–बार आदेश जारी किये गये एवं राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिशा–निर्देश दिये गये है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दिल्ली में योजित वाद संख्या–380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ. प्र. शासन द्वारा शासनादेश जारी कर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा विनियमित क्षेत्रों को अपने–अपने अभिकरणों में प्रभावी महायोजना में अंकित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी भू–उपयोग का राजस्व अभिलेख विवरण, गाटा संख्या, खसरा संख्या, आराजी संख्या, क्षेत्रफल आदि विवरण तैयार कर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा अपने–अपने अभिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत महायोजना में निर्धारित पार्क एवं हरित पट्टी के विरुद्ध हुए निर्माण कार्य को रोकथाम हेतु तत्काल सर्वे करा करके उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश जारी कर आदेशित किया गया है। तथा झांसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण से बिना अनुमति कोई भी निर्माण करना प्रतिबंध है एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन कार्यवाही का प्राविधान है, इसके बावजूद झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के अवैध निर्माणों में से झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से आज तक एक भी अवैध निर्माण हटाया/रोका नहीं गया है।

10. यह कि झांसी महानगर के 5002.90 हेक्टेयर क्षेत्र के अन्दर बसी आबादी को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराने और प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल आदि के रूप में प्रस्तावित 10 प्रतिशत भूमि में से अभि तक 3 प्रतिशत भी विकसित नहीं की गई है, जिसके कारण पार्को एवं खुले स्थलों आदि की भूमियों पर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अब्दुल करीम व जफर राईन व अकरम व मुहम्मद यासीन व के.आर. टोकसे श्रीमती गीता देवी व हरीदास व अर्जुन आदि जैसे व्यक्तियों और भू माफियाओं से सांठगाठ कर हरियाली नष्ट करते हुए अवैध निर्माण/अवैध कॉलोनियां विकसित कराने और इनमें अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर सरकारी खर्चे पर सड़क, बिजली, पानी आदि के विकास कार्य कराकर और बिजली, पानी के कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा हैं, जिससे झांसी महानगर कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ वायु में जीवन जीने के अधिकार का हनन है तथा अनुच्छेद 47, 48 (ए), 51 (ए), 51 (ए) (जी) में प्रदत्त पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करने के राज्य के कर्तव्यों का घोर उल्लंघन है।

11. यह कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त, स्वस्थ वातावरण प्रदान करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी और पूर्ण दायित्व है, जो कि बुनियादी मानवाधिकार के साथ–साथथ जीवन के अधिकार का भी एक

हिस्सा है। लेकिन झांसी प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना करते हुए, रिश्वत/घूस लेकर प्रदूषण को नष्ट करने और स्वच्छ वायु प्रदान करने वाले स्रोतों की इन भूमिओं (महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि) पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराकर, इनमें अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर, सरकारी खर्चे पर सड़क, बिजली, पानी आदि के विकास कार्य कराकर और बिजली, पानी के कनेक्शन देकर पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिनके विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollulor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दंडात्मक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

महोदय, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के हित में झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के अवैध निर्माणों और अधिकारियों की सांठगाठ की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रश्नगत आराजी नम्बरों के बैनामो, अवैध निर्मित भवनों के विद्युत और पानी कनेक्शनों एवं अधिकारियों की सांठगाठ से सरकारी खर्चे पर कराएं जा रहे बिजली, पानी, सड़क आदि के विकास कार्यों एवं गैर कानूनी रूप से बनाएं जा रहे प्रधानमंत्री आवासों की जांच रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से प्रश्नगत भूमियों की वर्ष 2005 से वर्तमान तक की सैटेलाइट इमेजेस लेकर जांच कराई जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक आख्या दिनांकित 02–03–2023 को खारिज करते हुए झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को हटाये जाने तथा प्रश्नगत आराजी नम्बरों की भूमि (**कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे–भरे पेड़ काटकर)** को आवासीय प्लाट के रूप में बेचने/खरीदने व अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों, भू–माफियाओं तथा इन्हें संरक्षण देने एवं नियम कानून और आदेशों की अवज्ञा करने वाले अधिकारियों की जांच उच्च स्तरीय निगरानी समिति से कराकर अवैध निर्माणों को हटाये जाने का आदेश जारी करने के साथ–साथ पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ को नुकसान पहुंचाने वाले यक्तियों व भू–माफियाओं और अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollulor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक .4.2023

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

आवेदक/आपत्तिकर्ता

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 918 सन् 2023

नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य

<u>प्रार्थना</u>

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि झांसी महानगर के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के हित में निम्नलिखित कार्यवाही करने की कृपा करें:–

1. यह कि आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 02–01–2023 के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी तथ्यात्मक आख्या दिनांकित 02–03–2023 को खारिज करने तथा उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन कर पुनः स्पष्ट तथ्यात्मक आख्या मंगवाने की कृपा करें।

2. झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों/अवैध कॉलोनियों में दी जा रही बिजली, पानी की सप्लाई रोकने/हटाने का आदेश जारी करने की कृपा करें।

3. झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों को रोकने/हटाने का आदेश जारी करने की कृपा करें।

4. झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों की वास्तविकता/सत्यता को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकाश में लाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर जांच/कार्यवाही हेतु उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन करने की कृपा करें :–

   अ. आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों का स्थलीय सत्यापन करने हेतु।

   ब. झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों अवैध निर्माणों की स्थलीय जांच कराने हेतुं।

   स. झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट बेचने, अवैध कॉलोनियां विकसित करने और अवैध निर्माण करने वाले दोषी व्यक्तियों की जांच कराने हेतुं।

   द. झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों में अवैध निर्माण कराने और संरक्षण देने की गतिविधियों में संलिप्त दोषी कर्मचारियों–अधिकारियों की जांच कराने हेतुं।

   य. झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों के अवैध निर्माणों/अवैध कॉलोनियों में अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर

सरकारी खर्चे पर सड़क, बिजली, पानी आदि के विकास कार्य कराने वाले और बिजली, पानी के कनेक्शन देने वाले कर्मचारियों–अधिकारियों की जांच कराने हेतु।

र. पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के हित में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से झांसी महायोजना 2001–21 में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के प्रश्नगत आराजी नम्बरों की वर्ष 2005 से वर्तमान तक की सैटेलाइट इमेजेस लेकर अवैध निर्माणों/अवैध कॉलोनियों की तथा इनमें सरकारी खर्चे पर कराएं गये बिजली, पानी, सड़क आदि के विकास कार्यों की जांच कराने हेतु।

5. झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खेल के मैदान आदि के आराजी नम्बरों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट बेचकर, अवैध निर्माण कर, इन अवैध निर्माणों को कराकर और उन्हें संरक्षण देकर तथा इन अवैध निर्माणों/अवैध कॉलोनियों में अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर सरकारी खर्चे पर सड़क, बिजली, पानी आदि के विकास कार्य कराकर बिजली, पानी के कनेक्शन देकर पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ को नुकसान पहुंचाने वाले यक्तियों, भू–माफियाओं और कर्मचारियों–अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollulor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके एवं इन अवैध निर्माणों से हो रही पर्यावरण की क्षति की भरपाई की जा सके और पुनः ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

इस कृपा के लिए हम समस्त झांसी महानगर वासी सदैव आपके आभारी रहेंगे।

दिनांक .4.2023

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

आवेदक/आपत्तिकर्ता

Gmail

Narendra Kushwaha <kushwaha2001@gmail.com>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्रेषित आख्या दिनांक 03.03.2023 के संबंध में,

2 messages

Narendra Kushwaha <kushwaha2001@gmail.com> 12 March 2023 at 22:09
To: judicial-ngt@gov.in, info@uppcb.com, rojhansi@uppcb.com, Niranjana Sharma <rojhansi@uppcb.in>

सेवा में,
श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मंडल 2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी. -12वी विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्रेषित आख्या दिनांक 03.03.2023 के संबंध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के क्रम में दिनांक 03.03.2023 को आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित आख्या दिनांक 02.03.2023 में जानबूझकर क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी के पत्र संख्या 673ध्व्|.918ध् छळज्ध्23 दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र संख्या 691ध्व्|.918ध् छळज्ध्23 दिनांक 18.01.2023 में 10 बिन्दुओं पर मांगी गई टिप्पणी/कार्यवाही के विपरीत झांसी विकास प्राधिकरण व नगर निगम झांसी व उपजिलाधिकारी सदर, झांसी और दक्षिणांचल विद्वुत वितरण निगम, झांसी के द्वारा प्रश्नगत भूमियों पर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियां विकसित कराने वाले अब्दुल करीम व जफर राईन व अकरम व मुहम्मद यासीन व के.आर. टोकसे श्रीमती गीता देवी व हरीदास व अर्जुन आदि से सांठगाठ कर एवं उनको बचाने के उद्देश्य से तैयार की गई मनगढ़ंत, अधुरी, भ्रामक, झूठी उक्त आख्या प्रेषित की गई है।

महोदय, प्रश्नगत भूमियों के अनधिकृत निर्माणों, अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों और अधिकारियों की सांठगाठ की सच्चाई सामने लाने के लिए के प्रश्नगत भूमियों के आराजी संख्याओं के बैनामो, अवैध निर्मित भवनों के विद्युत और पानी कनेक्शनों एवं अधिकारियों की सांठगाठ से सरकारी खर्चे पर कराएं जा रहे बिजली, पानी, सड़क आदि के विकास कार्यों एवं गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री आवास बनाएं जाने की जांच कराई जाना तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर-यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से प्रश्नगत भूमियों की वर्ष 2005 से वर्तमान तक की सैटेलाइट इमेजेस लेकर जांच कराई जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी के पत्र संख्या 673ध्व्|.918ध् छळज्ध्23 दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र संख्या 691ध्व्|.918ध् छळज्ध्23 दिनांक 18.01.2023 में मांगी गई 10 बिन्दुओं एवं मूल आवेदन की बिन्दुओं की टिप्पणी/कार्यवाही की पुनः स्पष्ट आख्या मंगवाकर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके एवं इन अवैध निर्माणों से हो रही पर्यावरण की क्षति की भरपाई की जा सके और पुनः ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 12.3.2023

संलग्न-

1. दिनांक 24.05.2006 की सैटेलाइट इमेजेस
2. आख्या दिनांक 03.03.2023

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी- पिछोर थाना नवाबाद झांसी,
उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

Application.pdf
16768K

सेवा में,

श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मंडल 2)
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी. –12वी विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्रेषित आख्या दिनांक 03.03.2023 के संबंध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के क्रम में दिनांक 03.03.2023 को आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित आख्या दिनांक 02.03.2023 में जानबूझकर क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी के पत्र संख्या 673/OA-918/ NGT/23 दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र संख्या 691/OA-918/ NGT/23 दिनांक 18.01.2023 में 10 बिन्दुओं पर मांगी गई टिप्पणी/कार्यवाही के विपरीत झांसी विकास प्राधिकरण व नगर निगम झांसी व उपजिलाधिकारी सदर, झांसी और दक्षिणांचल विद्वुत वितरण निगम, झांसी के द्वारा प्रश्नगत भूमियों पर **अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियां विकसित कराने वाले अब्दुल करीम व जफर राईन व अकरम व मुहम्मद यासीन व के.आर. टोकसे श्रीमती गीता देवी व हरीदास व अर्जुन आदि से सांठगाठ कर एवं उनको** बचाने के उद्देश्य से तैयार की गई मनगढ़ंत, अधुरी, भ्रामक, झूठी उक्त आख्या प्रेषित की गई है।

महोदय, प्रश्नगत भूमियों के अनधिकृत निर्माणों, अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों और अधिकारियों की सांठगाठ की सच्चाई सामने लाने के लिए के प्रश्नगत भूमियों के आराजी संख्याओं के बैनामो, अवैध निर्मित भवनों के विद्युत और पानी कनेक्शनों एवं अधिकारियों की सांठगाठ से सरकारी खर्चे पर कराएं जा रहे बिजली, पानी, सड़क आदि के विकास कार्यों एवं गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री आवास बनाएं जाने की जांच कराई जाना तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर–यू.पी. एवं सर्वे ऑफ इंडिया से प्रश्नगत भूमियों की वर्ष 2005 से वर्तमान तक की सैटेलाइट इमेजेस लेकर जांच कराई जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी के पत्र संख्या 673/OA-918/ NGT/23 दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र संख्या 691/OA-918/ NGT/23 दिनांक 18.01.2023 में मांगी गई 10 बिन्दुओं एवं मूल आवेदन की बिन्दुओं की टिप्पणी/कार्यवाही की पुनः स्पष्ट आख्या मंगवाकर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 918/2022 में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके एवं इन अवैध निर्माणों से हो रही पर्यावरण की क्षति की भरपाई की जा सके और पुनः ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 12.3.2023

संलग्न–
1. दिनांक 24.05.2006 की
. सैटेलाइट इमेजेस

2. आख्या दिनांक 03.03.2023

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
निवासी– पिछोर थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

Date 24.05.2006 Satellite images of pichhor arzi no. 752 to 755, 817 to 821, 826 to 843 etc.

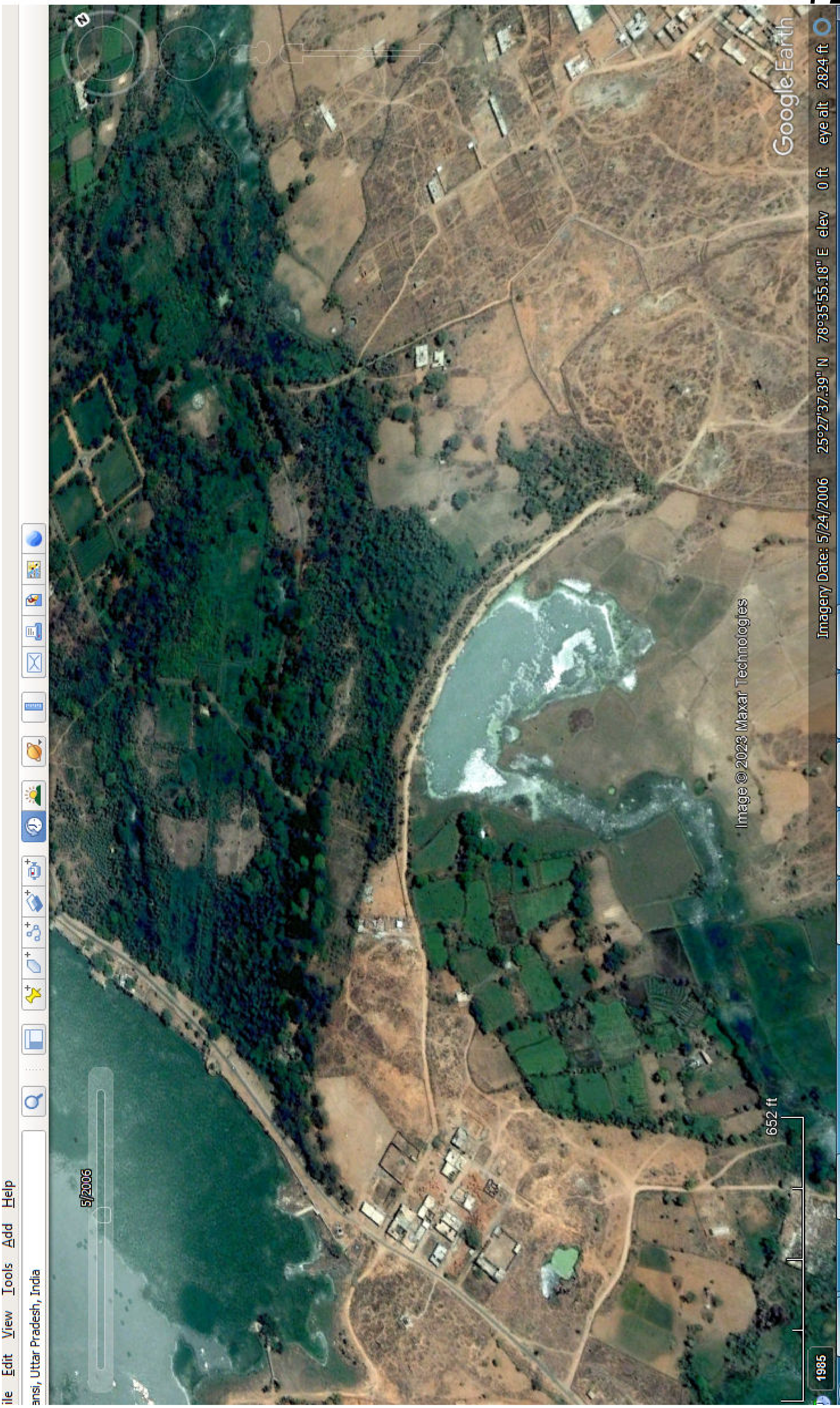
Edit View Tools Add Help
Uttar Pradesh, India
5/2006
Google Earth
Image © 2023 Maxar Technologies
652 ft
1985
Imagery Date: 5/24/2006 25°27'37.39" N 78°35'55.18" E elev 0 ft eye alt 2824 ft